कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला।
जिला–सरायकेला–खरसावाँ।
e-mail- dfo-saraikela@gov.in Telefax No.06597-234891(O)

झारखण्ड सरकार

जहाँ है हरियाली
वहाँ है खुशहाली ॥

पत्रांक :...677.......... / सरायकेला दिनांक : 30/3/2019

सेवा में,

M/S Hindustan Petroleum Corporation Limited
Large Sector, Adityapur Industrial Area.
Gamharia - 832108

विषय : **मौजा श्रीरामपुर, थाना नं0–48 एवं मौजा शिखरडीह, थाना नं0 71 में** LPG Bottling Plant **स्थापना हेतु वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग : अपयोजन प्रस्ताव संख्या FP/JH/IND/33374/2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि LPG Bottling Plant की स्थापना हेतु आयडा, आदित्यपुर द्वारा कुल 25.00 एकड भूमि आवंटित किया गया है जिसमें 21.60 एकड़ वनभूमि है। आयडा, आदित्यपुर को कुल आवंटित/स्वीकृत वनभूमि 1200.08 एकड़ में से 276.97 एकड़ वनभूमि (मौजा श्रीरामपुर, शिखरडीह एवं रामचन्द्रपुर) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्रांक 11–9/2007/FC दिनांक 03.10.2008 द्वारा सैद्धांतिक अपयोजन स्वीकृति (स्टेज–1) सशर्त दी गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति क्षेत्र 276.97 एकड का व्योरा निम्न है :–

1.	श्रीरामपुर :	23.46 एकड़
2.	शिखरडीह :	134.99 एकड
3.	रामचन्द्रपुर :	118.52 एकड़
	कुल	**276.97 एकड़**

आपके द्वारा अपयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के मौजा श्रीरामपुर में 7.00 एकड़ एवं शिखरडीह में 14.60 एकड़ कुल 21.60 एकड़ वनभूमि आयडा के सैद्धांतिक स्वीकृति क्षेत्र 276.97 एकड, का अंश है। आयडा द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज–1) के शर्त का पूर्ण अनुपालन अब तक नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रावधानों के तहत पूर्ण अपयोजन स्वीकृति (Stage-II) अब तक लंबित है।

आयडा द्वारा आवंटित M/S Hindustan Petroleum Corporation Limited को आवंटित क्षेत्र 21.60 एकड़ में प्लान्ट के विस्तारीकरण हेतु State level Environment Impact Assessment Authority, Jharhand के पत्रांक 126 दिनांक 05.02.2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति सशर्त दी गई है, जिसके *Specific Conditions No.2 "Environment Clearance Shall be valid subject to clearance of proposal no. FP/JH/IND/33374/2018 u/s. 2 of the Forest Conservation Act 1980 for diversion of fresh forest land."* उल्लेख है।

ज्ञातव्य हो कि अद्यतन अभिलेखों के अनुसार आपके द्वारा अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि पर वर्तमान में आयडा का अधिकार होने के कारण उनका सहमति/स्वीकृति लेना उचित होगा।

अतः विषयगत प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई हेतु आयडा से सहमति/स्वीकृति पत्र प्राप्त करके समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन

Aditya Narayan
वन प्रमंडल पदाधिकारी
सरायकेला वन प्रमंडल।

D:\Office file\FC Act\Hindustan petroleum Srirampur 25.3.2019.docx